

## प्रेस नोट

दिनांक 14.04.2021

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अमेठी पुलिस को मिली बड़ी सफलता

अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़, 07 अदद अवैध तमंचे, 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर व भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण के साथ 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार ।

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में चेकिंग संदिग्ध वस्तु/व्यक्ति के दौरान जनपद अमेठी में अपराध एवं अपराधियों के धर पकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 13.04.2021 को प्र0नि0 राजेश कुमार सिंह थाना फुरसतगंज मय हमराह द्वारा तलाश वांछित व देखभाल क्षेत्र के दौरान रेलवे स्टेशन फुरसतगंज के पास मौजूद थे । मुखबिर की सूचना पर ग्राम भदैया महमूदपुर में अभय सिंह के मुर्गी फार्म में अभियुक्त इसरत अली उर्फ अच्छे मियां पुत्र स्व0 शाहिद अली नि0 ग्राम जलालपुर धई थाना गदागंज जनपद रायबरेली हाल पता मशवानी खंझडी नीम मोहल्ला चौकी बाकरगंज जनपद फतेहपुर को अवैध असलहा बनाते हुए समय करीब 21:40 बजे रात्रि में गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के कब्जे से 07 अदद अवैध तमंचा 315 बोर, 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व असलहा बनाने की फैक्ट्री, उपकरण 06 अदद ट्रेगर, 06 अदद हैमर, 05 अदद स्प्रिंग, 06 अदद सुल्ली, 07 अदद लोहे की छेनी, 02 अदद प्लास, 01 अदद लोहा काटने की कैंची, 04 अदद लोहे की सुम्मी, 10 अदद तमंचे की बाडी चाप, 01 अदद लोहे की वाक मशीन, 07 अदद रेती, 70 अदद लोहे की कील, 02 अदद रमर हैण्डल, 02 अदद आरी, 02 अदद हथौड़ा, 80 अदद तमंचा बनाने का लोहा, 01 अदद ड्रिल मशीन, 03 अदद बर्मा आदि बरामद हुआ । थाना फुरसतगंज द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तारी स्थान:- ग्राम भदैया महमूदपुर दिनांक:- 13.03.2021, समय:- 21:40 बजे रात्रि

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

- इसरत अली उर्फ अच्छे मियां पुत्र स्व0 शाहिद अली नि0 ग्राम जलालपुर धई थाना गदागंज जनपद रायबरेली हाल पता मशवानी खंझडी नीम मोहल्ला चौकी बाकरगंज जनपद फतेहपुर ।

बरामदगी- (कुल 07 तमंचा व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर व भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण)

1. 07 अदद अवैध तमंचा, 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर ।
2. (भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण) 06 अदद ट्रेगर, 06 अदद हैमर, 05 अदद स्प्रिंग, 06 अदद सुल्ली, 07 अदद लोहे की छेनी, 02 अदद प्लास, 01 अदद लोहा काटने की कैंची, 04 अदद लोहे की सुम्मी, 10 अदद तमंचे की बाडी चाप, 01 अदद लोहे की वाक मशीन, 07 अदद रेती, 70 अदद लोहे की कील, 02 अदद रमर हैण्डल, 02 अदद आरी, 02 अदद हथौड़ा, 80 अदद तमंचा बनाने का लोहा, 01 अदद ड्रिल मशीन, 03 अदद बर्मा आदि अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण ।

पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

- मु0अ0सं0 28/21 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट थाना फुरसतगंज जनपद अमेठी ।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. प्र0नि0 राजेश कुमार सिंह थाना फुरसतगंज जनपद अमेठी ।
2. हे0का0 सुधीर पटेल थाना फुरसतगंज जनपद अमेठी ।